[Shri Thillai Villalan]

when fixed. It is obvious that we cannot maintain our democracy based on the rule of law without an adequately paid and efficient judiciary."

Madam, by these remarks of Mr. Mukherjee and Mr. Setalvad, the present picture of the conditions of the judges is painted clearly. I would like to submit that I have brought forward this Bill only to highlight the present condition of the judges regarding their salary, their allowances, pensions and the guidelines to appoint judges, as a whole the present condition of the judiciary. I think I have succeeded in my humble attempt by bringing forward this Bill.

Lastly, I would submit that if the hon. Minister of Law assures that a comprehensive Bill will be brought forward by the Government to make the position of the judges better by increasing their salary and by changing their service conditions, I am prepared to withdraw this Bill with the permission of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKOPADHYAY): Do you wish to say anything?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NITI RAJ SINGH CHOUDHURY) : I have already made my submission. I have nothing else to add.

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Thillai Villalan, shall I take it that you are withdrawing your Bill?

SHRI THLLAI VILLALAN: I want the Minister to assure the House that a comprehensive Bill will be brought forward in the near future about the salary, allowances, pension and service conditions of the judges.

SHRI NITI RAJ SINGH CHOUDHURY : The Bill as it is seeks to amend article 220 of the Constitution. The question of salary, etc. is not covered by that. I have already made my submission, and I have nothing more to add.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Are you withdrawing the Bill?

SHRI THILLAI VILLALAN : Yes.

The Bill was by leave, withdrawn

THE PROHIBITION OF BIGAMOUS MARRIAGES BILL, 1970

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal): Madam, I beg to move:

"That the Bill to prohibit bigamous marriages in India be taken into consideration."

The statement of Objects and reasons makes my purpose very clear. Polygamy is a social evil and should be ruthlessly suppressed. The Hindu Marriage Act, 1955, has made bigamous marriages void and bigamy a punishable offence. But polygamy is practised by the people of several other communities in India. This discrimination should go and polygamy should be prohibited for all. The Bill seeks to achieve this object.

I do not claim myself as one who is very conversant with the Koran or the Shariat. I have great respect for every religious authority, whether it is of the Muslims or the Hindus or the Christians or any other. So, with due respect to the sentiments of any Muslim friends and with all respect to the teachings and sayings of the Prophet, I would submit that the time has come when because of the changed conditions and outlook, there should be a rethinking by the Muslim community. We, all non-Muslims and the Government in particular belong to a secular State. When we talk of secularism, we should not be guided by any theocratical ideas, not absolutely two marriages.

In the Hindu society also there was a time when more than one marriage was considered as virtuous. Madam Vice-Chairman, you belong to a State where you must have seen or known that the so-called Kulin Brahmins used to marry more than a hundred women. Now, that

did not debar our Government from codifying the marriage restricting it to one Because we belong to a liberal community so you have a right to interfere with our personal law But you do not have that right in the case of persons of the minority community

Madam Vice Chairman minorities are assured protection But there are minorities among minorities who should be shown better consideration The weaker sect among the minorities namely the women should be properly respected in the matter of marriage I do not say for a moment that all the Muslims have more than one wife No very few have more than one wife Then why should we not take these few unfortunate women into consideration Why should we not take steps to remove this stigma from the face of the minority community? I am conscious of the fact what even according to the Koran or the Hadis the conditions for more than one marriage are prescribed A Muslim man can marry a second wife only with the consent of the first wife if the wife has lost capacity of child bearing if she is of ill health But these considerations are not observed always So far as the Koran and the Hadis are concerned they are not in conflict with what I say But what I say is that in the name of the holy Koran or the Hadis there are people who indulge in marrying more than one wife No consent is required rather they are gagged The question of consent is not allowed Then who judges the question of child bearing capacity and who consider the question of ill health So if the provisions laid down in the Koran or the Hadis were duly observed this question would not have been raised this question would have been resented But facts are there and the Ministers from time to time gave assurance to the House both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha that they will consider this matter that they will appoint a Commission to go into this matter but nothing has been done So I felt that there was reason for harping on the same matter over and over again

Madam Vice Chairman there are certain misconceptions amongst the persons in the Government And their consideration is more political than ethical And the political consideration is this that possibly the Muslim community will not favour the idea of banning polygamy But I am here to give statistics that in Muslim countries like Turkey and Tunisia, for example polygamy has been banned totally Even in countries like Syria and Egypt the combined effect of the Holy Koran and the legislation has made plural marriage increasingly difficult

Madam Vice Chairman I have prepared a long list of countries to show that even in countries where Muslims are in an overwhelming majority already restrictive laws have been codified As I have already said in Turkey and Tunisia polygamy has been totally banned In other Muslim majority countries it has been very much restricted The Minister may take note of these things I am only mentioning those countries which are Muslim majority countries and where this has been restricted There might be Muslim minority countries also where it has been restricted but I am not mentioning them because this argument may be given that because Muslims are a minority there so it has been done But I am going to show that even where Muslims are a majority, they themselves have done it They are not suddenly ignorant of the provisions of Koran and Hadis Knowing the provisions of Koran and Hadis they have done it Why do you hesitate You hesitate for political reasons not for moral or ethical reasons Albania is a Muslim majority State where the personal law has been replaced by a common civil code In Algeria where the Muslims are in an overwhelming majority it is partly reformed In Brunei, a Muslim majortiy country it is subject to regulatory legislation In Egypt where there is an overwhelming majority of Muslims, it is partly reformed and codified In Iraq, where Muslims are in an overwhelming majority it is partly reformed and codified In Iran where Muslims are in an overwhelming majority, it is partly reformed and codified In Jordan which is a Muslim majority State it is partly reformed and codified In Lebanon, where Muslims are in a majority it is partly reformed In Libya which has an over

[Shri Dwijendralal Sen Gupta]

whelming majority of muslims, codification is under contemplation In Malaysia, where Muslims are very much in a majority, it is subject to regulatory legislation In Morocco, where the Muslims have an overwhelming majority, the personal law is reformed and codified In Pakistan, it is partly reformed I may tell you that in 1961, there was an Ordinance under which these marriages were regulated In the Soviet Union—you are very much with the Soviet Union now—the Muslims are a strong minority There the personal law has been replaced by a common civil code They did not hesitate They did not think that there would be loss of vote if the personal law was reformed They went by some ethics In Tanzania majority in Zanzibar and minority in Tanganyika—the Muslim marriage law has been replaced by a common enactment

Madam Vice-Chairman, I would like the House to take note of certain facts This is not the first time that this question has come up before Parliament for discussion On 5th of May, 1970, the Starred Question No 1413 in the Lok Sabha was like this (a) The reasons for making any reforms in the Muslim Personal Law (b) whether it is a fact that most of the Muslim ladies favour civil code and it is opposed by some vested interests and (c) whether Government proposes to make a survey of it Mr. Govinda Menon the then Law Minister, was replying to this The suggestion was that there should be a Commission appointed by the Government with Mr Justice Hidayathullah as the Chairman to go into the question Mr Hidayatullah himself was an eminent judge and he was a Muslim himself and let him go into the question Mr Govinda Menon was further saying The hon Member has made a good suggestion I will accept it'

Then Mr Govinda Menon came back to amend his answer and it was recorded in the Lok Sabha proceedings of May 13 1970 Mr Govinda Menon says Mr Speaker Sir while answering supplementaries to starred question No 1413 on 5th May I made a suggestion to constitute a Commission on behalf of the Government to consider reforms in the Muslim Personal Law which Mr Justice Hidayathullah Chief Justice of India, as Chairman I made the remark, in reply, that the hon Member has made a good suggestion The words I will accept it" appearing there in the proceedings of the day should read I would examine it This is further clarified First he says I will accept it then he says, "I will examine it The matter has neither been accepted nor examined since then

Madam Vice-Chairman the matter came up again in Lok Sabha on July 2 It was Unstarred Question No 310 Then the Minister was Mr Jagannath Rao There are three parts to the question Part (c) is relevant It says Steps proposed to be taken in the matter at the time and whether any decision can be expected in respect of common civil code Mr Jagannath Rao says Suggestions received from time to time for enactment of a common civil code have been considered As there is no uniformity of views in the matter among the different sections of the society, the Government do not propose to take any action for the present ' So, the words "for the present' were used in 1970 We are now talking of 1973, and time has passed by three years Then the same question came up again in the Lok Sabha on March 14 It was Starred Question No 28 by Mr Chintamani Panigrahi He belongs to the Congress The question was, whether the Maharashtra State Muslim Women's Conference held at Poona towards the end of December, 1971, demanded uniform civil code and, if so, the reaction of the Government thereto" The answer is very important Shri Niti Raj Singh Chaudhury was present here. The answer was given by him We have considered what Mr Govinda Menon said We have considered what Mr Jagannath Rao said Now we are considering what Mr Niti Raj Singh Chaudhury said He said It appears from certain press reports that at the conference of Muslim women held towards the end of December 1971 a demand was made *inter alia* for the enactment of a uniform civil code No such proposal is at present under consideration of the Government The earlier reply was in 1970 And now in reply to this question this is what he said At present it

is not there." This is from Lok Sabha proceedings. Now let us take the proceedings of this House. On 18th June 1971 the Prohibition of Bigamous Marriages Bill of 1967 of Shri Sri Rama Reddy was taken up for consideration. And at that time Mr. Gokhale replied to the debate on 26th November 1971 wherein he said: "I must at the same time make it clear that it is only theoretical because there were noted Muslim Jurists like Mr. Abdul Raheem who spoke on the principles of Mohammadan jurisprudence which was part of Tagore Law Lecture Series here in India and who said the Mohammadan law undoubtedly contemplates monogamy as an ideal to be aimed at." Then, further on he says we can take it as his commitment before the House. He said: "We are aware of that fact." 'We' means the Government—"that we have also to play a role in building up an opinion in the minority community itself. The Government does not want to disclaim that responsibility. The Government will, at the proper time, take measures elicit opinion from the minority to build up an opinion in favour of a progressive change in the Muslim Law affecting the personal law of the *Muslims*." So, *you will try to build up* an opinion in favour of a progressive change. So that is admitted and you will try to do it. Then what has been the position. What has been done? Simply nothing has been done. When nothing has been done we feel that there should be a serious rethinking once again on the matter. Mr. Niti Raj Singh Chaudhury himself admitted that there was a resolution passed by the Muslim women in a conference in Maharashtra.

AN HON. MEMBER: At Poona.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Poona is part of Maharashtra, I believe. He admitted that there was a resolution by the Muslim women in a conference in Maharashtra where they supported or claimed prohibition of bigamous marriages. The Government says we do not like to interfere in their personal law. Let them evolve their own law. Let there be sufficient consciousness in *them*. I want to know what the standard of that consciousness is, what will satisfy the Government as 'consciousness'. Will the Government go in for a referendum? Are they prepared to circulate this Bill? I *am not going to press* this Bill. But let them circulate *this Bill. Let them* elicit public opinion. If the Muslims, the majority of the Muslims, say "No", I shall most gladly withdraw this Bill. I am not here to impose my views or the views of the Hindu majority or the views of any non-Muslim majority upon the Muslims. But you have not so far tried to ascertain the reactions of the Muslims on this aspect. You have by that allowed the Mullas and other fanatics to take advantage of the illiteracy and ignorance and other vices in the common masses and prevail upon them for which this Government is responsible. How do you expect the Muslim women, who *even today wear purdahs and cannot* show their faces to the male members according to Quaran or Sheriat, to take part in a demonstration of setting fire to the trams, post offices and other public properties? It is only education that leads to the concept of demonstration and demonstration often becomes violent. That cannot be expected from weaker sections of this minority community, namely, Muslim women who are always guided and dominated by the opinion of the Muslim males who oppress them at times. This is not a quarrel between myself and my Muslim friend. It is a quarrel between the vested interests in the form of Muslim males and their oppressed women whose *cause I want to champion. I want* to give them a status and I want to raise the status of Muslim women who are ignorant and uneducated? What can you expect from those who are uneducated in any society? Those who are educated can take care of themselves. But think of those who are not educated. Even in the Hindu society, what is their position? We talk of women's liberty and women's freedom and all that. How do you ensure them when they are economically very much dependent and culturally and educationally backward? In our country illiterate persons are very poor and they are poorer still among the so called backward classes. I do not want to con*demn them.* I have a cause to fight for the down-trodden, the oppressed and the suppressed. You talk about the de-

[Shri Dwijendralal Sen Gupta]

pressed people, the suppressed people and the oppressed people. Don't you see that sense of oppression and sign of suppression in the system that prevails now? If you do not see it, I want to rouse your consciousness. Government sometimes say: "We accept the proposal to have a commission under Hidayatullah". Sometimes you say: We will examine it". On some occasions you say: "We are not going to do it" or "We have no such proposal" No long will this thing continue? What is your standard of secularism? I want to know if your standrad of secularism is only in respect of a particular community. If you want to give a meaning to your secularism, then you must act accordingly. But you have not acted and that is my grievance. I am sure the House will support me.

In the end I only want to quote Mr. Ayub Khan, who as the President of Pakistan, wrote, in his book FRIENDS NOT MASTERS, thus:

> "A Muslim is allowed by Islam to have more than one wife under certain conditions and this permission has been used to practise indiscriminate polygamy causing immense misery. Innumerable women, tongue-tied women and innocent children of thuosands of families have been ruined because of the degenerate manner in which the males have misused this permission to suit their convenience."

I have no better authority to quote from. Mr. Ayub Khan was the President of Pakistan and Pakistan is much more an Islamic State than ours though, of course we are trying to compete with them in that way also to show that we are more Islamic than the Islamic States themselves. But this is the picture that has been given by Mr Ayub Khan himself. Thank you.

The question was proposed.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान): उपसभानेत्री जी, जो माननीय महोदय ने आज हमारी संसद के क्षितिज में एक बड़ा अहम् सवाल सदन के सामने रखा, स्त्री जाति की आजादी का सवाल हमारे सामने रखा, उसका मैं स्वागत करती हूं। इस प्रकार का एक कानून कई वर्षों पहले हमारे यहां पास हो गया था। उसके अनुसार दो शादियां करना रोक दिया गया था। आज से कुछ वर्षों पहले हमारे देश मे और खास करके उत्तरी भारत मे बहु-विवाह की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। खास कर जिस राज्य से मैं आती हू, राजस्थान में इसका प्रचलन बहुत था। 5, 6 या 7 शादियां करना एक आम बात मानी जाती थी। एक कानून के द्वारा उसे बन्द कर दिया गया। लेकिन फिर भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस कानून के बन जाने के बाद भी आज भी कई-कई शादियां प्रचलन मे है। खास करके गांवों में अब भी दो-दो, तीन-तीन शादियां लोग करते हैं। जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग है उनमें भी बहु-विवाह वैसे ही चला आ रहा है जैसे कि पहले चला आता था। बल्कि मैं तो अफसोस के साथ कहूंगी कि इस कानून के बनने के बाद भी अभी हमारे कुछ स्टेट है, हिमालय की तरफ का कुछ इलाका ऐसा है, जहा पोलिगैमी के साथ-साथ पोलेंड्री भी चलती है। वहां पर बहु-पत्नीत्व के साथ-साथ बहु-पतित्व भी चलता है। जहां-जहां भी कोई सभ्य सरकार है, सभ्य मुल्क है उसने इस तरह के कानून बनाये कि जिससे बहु-पत्नीत्व को बन्द किया और वाकई में यह बन्द होना चाहिए।

महोदय ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि हमारे यहा एक तबका है, जिसके अन्दर कानून के द्वारा कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नही है। आपका कहना मै सच मानती हूं और आपने जो दलीलें रखी उनकी मैं ताईद करती हूं। एक औरत की नजर से मैं

यह कह सकती हू कि इसको रोकने की बहुत ही अत्यन्त आवश्यकता है। एक घर मे तीन-तीन, चार-चार पत्निया या सौतो का साथ रहना समाज के जीवन के लिए, उस गृहस्थ के लिए, उस कुटुम्ब के लिए इससे बढ कर कोई अभिशाप नही हो सकता। मुझे याद आता है, शायद आप लोगो ने भी कालीदास की रचनाये पढी होगी, उनमे एक श्लोक है। जब पार्वती का विवाह होता है तो उसको आशीर्वाद मे 'अखडितम् प्रेम लभस्य पत्य' कहा जाता है और इस आशीर्वाद को सारे साहित्य मे सबसे ऊचा स्थान दिया गया है। इस आशीर्वाद का मतलब होता है कि तुम्हे पति का अखडित प्रेम मिले।

इसका यह अर्थ होता है। तो बेटी को जाने पर जो शुभ आशीर्वाद दिया जाता जाता है उसमे यह चीज कही जाती है 'अखडितम् प्रेम'। लेकिन जहा इतनी शादिया होती है, उन स्त्रियो के ऊपर किस तरह का एक वजन रहता है, उनको घर मे रहते हुए कैसे नारकीय जीवन मे से गुजरना पडता है, यह केवल एक कल्पना की चीज है। मुझे अफसोस है कि आज भी एक ऐसा तबका है जो इस तरह की कई शादियो की हिमायत करता है। अपने धर्म का एक अग इस चीज को मानता है।

मै कहूगी कि इस तबके के जो लीडर है, इस तबके जो के नेतागण है उनको सामने आना चाहिये और उन्हे इस तरह की एक माग रखनी चाहिये कि इस तरह का कानून उनके यहा भी लागू किया जाय। आज मे कुछ वर्ष पहले हमारे तबके के जो लीडर थे, उन्होने दबाव डाला कि इस प्रकार का कानून पास किया जाय। उसी तरह से जो ऐसी कम्युनिटी के लोग है उनको आगे आना चाहिये।

यह मै जानता हू कि आज पब्लिक ओपिनीयन क्या है। मुझे मुस्लिम महिलाओ से मिलने का मौका मिला है। उन महिलाओं का भी कहना है कि इस तरह का एक कानून आना चाहिये। जब कि देश मे करोडो लोग ऐसे है जिनका विवाह केवल एक पत्नी से होता है, तो फिर उसी देश मे एक तबके के अन्दर उसी प्रकार की शिक्षा पाये हुये एक वर्ग मे एक घर के अन्दर कई पत्नियो का होना वाकई मे अभिशाप की चीज है। सबसे बेहतर यह है कि यह जो तबका है इसके नेता आगे आये। हमारे देश मे एक सोशल सिस्टम है। इसमे शरैयत या धर्म का सवाल नही है। शरैयत मे और पुराने धर्मों मे एक नही, अनेक बाते कही गई हैं। शरैयत मे यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके हाथ काट डाले जाये। यदि आज कोई चोरी करेगा तो क्या शरैयत के अनुसार उसके हाथ काट डाले जायेगे। आज ऐसा नही हो सकता है। किसी जमाने मे, किसी वक्त मे, उनके धर्म मे, उनकी शरैयत मे ऐसा होगा। आज जमाने के साथ-साथ इस तबके के लोगो को भी आगे बढना चाहिये। यह औरतो की आजादी और स्टेटस का सवाल है। जो असभ्य मुल्क होते है वही इस प्रकार के असभ्य चलन चलते है। हमारा कानून भी कहता है कि सब के लिए एक प्रकार का कानून बनना चाहिये। जब इसी मुल्क मे एक तबके की औरते एक तरह का स्टेटस इन्ज्वाय कर रही है और घर की मालिकिन बन कर रहती है, तो फिर दूसरे तबके के लोगो को इस तरह की छूट क्यो दी जा रही

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत]
है कि एक-एक घर में तीन तीन, चार-चार पत्नियां एक साथ रहती हैं।

इसलिए इस विधेयक का मैं कई तरह से समर्थन करती हूं। एक औरत की नज़र मे खास कर के मैं सोचती हूं कि इस तरह का कानून बनाया जाय। वैसे बेहतर यह होगा कि जो इस तब्के के लोग हैं वे खुद आगे आ कर के कहें कि इस तरह का कानून बनाया जाय। यह मेरा नम्र निवेदन है और मेरी राय है। मैं स्वयं इस विधेयक को अपनी सहमति देती हूं। मैं चाहूंगी कि हमारी करोडो बहनों के ऊपर आज इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को बन्द किया जाय।

जब शरैयत की बात आती है तो हम यह भी जानते है कि दूसरे जो मुस्लिम मुल्क हैं उनमें कई तरह के सुधार हुये हैं। ईराक में इस तरह का कानून बन गया है, जहां एक व्यक्ति दो औरतों मे ज्यादा शादी नही कर सकता। टर्की में भी इस तरह का कानून पहले बनाया गया था। हमारा पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान है जो इस्लामी मुल्क कहा जाता है। कुछ दिन पहले मैंने "इलस्ट्रेटेड वीकली" में एक आर्टिकिल देखा। उसके सम्पादक खुशवन्त सिंह जी ने लिखा है कि वे पाकिस्तान की यात्रा पर गये थे। उन्होंने लिखा है कि वहां दूसरी शादी करना बिलकुल असंभव कर दिया गया है और मुस्लिम औरतों को कानून के अनुसार इस तरह का हक दिया गया है कि वे आसानी से तलाक प्राप्त कर सकती हैं। मेरी समझ में नही आता है कि यहां केवल एक तब्के में आज भी ऐसी बातें क्यों विद्यमान है। मेरी यह राय है कि सामाजिक व्यवस्था में हमारे मुल्क में सारे 55 करोड़ व्यक्तियों के लिए एक सा कानून होना चाहिये और वह हिमालय की कन्दराओं मे रहने वाले आदिवासियों से ले कर सुदूर दक्षिण तक प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिये ताकि सारे देश में पालीगैमी और बाइगैमी को समाप्त किया जा सके।

श्री मान सिंह वर्मा: उपसभापति महोदय, हमारे साथी श्री सेनगुप्त ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि जो परम आवश्यक है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जिस समय बहु-विवाह को वर्जित करने के लिए विधेयक यहां पर आया था, हिन्दू मैरिज ऐक्ट में संशोधन किया गया था, उसी समय वह विधेयक देश के सभी संप्रदायों पर, सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए था। परन्तु हमें यह बडे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार कानून बनाते समय उन बातों का ध्यान नहीं रखती जिन को वह अपना मोटो बना कर चलती है। सरकार डंके की चोट पर बार-बार कहती है कि हमारा स्टेट सेकुलर है, हमारा एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और जब कानून बनाने लगती है तो वह धर्म निरपेक्षिता की भावना को भूल जाती है और वह उस भावना को भूल कर इस प्रकार के कानून बनाती है कि जिससे सांप्रदायिकता की प्रगति हो, जिससे सांप्रदायिकता उत्पन्न होती हो। आज इस विधेयक को लाने की आवश्यकता भाई सेन-गुप्त को नही पड़ती, यदि उस समय सबके लिए एकसा कानून बन जाता। एक धर्म निरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिकता को सामने रखा जाय, इस भावना को सामने रखा जाय कि किस संप्रदाय का

अपना कानून क्या है तो मै समझता हूं कि यह उनके अपने ही सिद्धाता के विरोध मे है। जिसको पर्सनल लॉ कहते है, महोदया, यदि हम उस पर्सनल लॉ के पीछे चलेगे तो बहुसख्यक आबादी या स्पष्ट रूप से कहू तो हिन्दुओ मे भी अनेक प्रथाये इस प्रकार की थी कि जो आज के समय मे उचित प्रतीत नही होती। जैसा कि पूर्व वक्ता ने उल्लेख किया कि यहा अनेक पत्नियो का रिवाज था। कुछ ऐसे भी रिवाज थे कि एक स्त्री अनेक पति रख सकती है, कुछ इस प्रकार के भी रिवाज थे कि मदिरो मे जा कर शराब पी जा सकती है, नगा हो कर नाच सकते है, धर्म की आड मे इस प्रकार के कृत्य हुआ करते थे, किन्तु जो समाज जागरुक होता है, जो समाज अपने अस्तित्व को बनाये रखना चाहता है वह इस प्रकार की विकृतियो को समाप्त करने के लिए तत्पर भी रहता है। यह निशानी जागरुकता की है। यही निशानी सभ्यता की है। सभ्य समाज उसी को कहते है कि समय को देखते हुए यदि कोई कानून ऐसा प्रतीत होता है कि वह लागू नही होना चाहिए तो सभ्य समाज उस को हटा कर उस के स्थान पर दूसरा कानून बनाता है। आज भी इस तरह से कानून बदलते रहते है और प्राचीन काल मे भी इसी प्रकार से कानून बदलते रहे है। उस समय भी ऐसा नही है कि कभी समाज ने जो एक कानून बना दिया वह बराबर चलता ही रहे। मनु ने जो सिद्धात दिये है उनमे से अनेक आज ऐसे है कि जिन पर हम नही चल सकते है। जिस प्रकार से चार्वाक के समय मे जो सिद्धात और नियम हमारे देश मे लागू हुए आज वह आउट आफ डेट हो गये है, आज वे समयोचित नही है। देखा यह जाता है कि समय को देखते हुए किन बातो की आवश्यकता है। अभी पूर्व वक्ता ने यह कहा कि स्त्री की भावनाओ को दृष्टि मे रखते हुए यह सोचा भी नही जा सकता कि एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री उस घर मे आये।

पुरुष उसको पसन्द कर सकता है अपने स्वार्थ के लिये, अनेक और बातें हो सकती है, किन्तु मै समझता हू कुछ एक्सेप्शन्स को छोड कर के संसार मे एक भी स्त्री ऐसी नही मिल सकती जो कि इस बात को पसन्द करे कि उसके रहते हुये कोई दूसरी स्त्री पत्नी बन कर के उसके घर मे आये। यह प्रकृति के विरुद्ध है, स्वभाव के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है और सभ्यता के विरुद्ध है। एक घर मे जब दो पत्निया रहती है तो उसमे सुख-समृद्धि हो नही सकती, होती भी नही है। यहा हमारे मुसलमान भाइयो का ही प्रश्न नही है, हमारे हिन्दुओ मे भी अभी भी इस प्रकार के विवाह होते है कि एक स्त्री के रहते हुये दूसरी स्त्री रख लेते हैं, कोई भी कारण हो, एक स्त्री से बच्चा नही हुआ तो समझते है कि दूसरी स्त्री से बच्चा हो और अगर दूसरे से भी नही हुआ तो तीसरे से शादी कर लेते है और तीसरी से भी नही होता और ऐसे भी उदाहरण है कि तीसरी को जब बच्चा हुआ तो पहली और दूसरी को भी हो गया, तीनो को होने लगा। तो इस प्रकार के उदाहरण है। तो केवल इस नाते से कि बच्चा नही होता इसलिये दूसरी स्त्री रख ले यह ठीक नहीं और मै समझता हू कि जहा इस प्रकार के उदाहरण हुये है वहा थी वह पछताये है, क्योकि वहा पर सुख हो ही नही सकता, सभावना वहा आ नही सकती, सदभावना वहा आ

[श्री मान सिह वर्मा]
नही सकती। इस कारण से इसके सुधार की दृष्टि से यह परमावश्यक है कि एक स्त्री के रहते हुये दूसरी स्त्री घर मे न आ सके। परन्तु, जैसा कि माननीय सेनगुप्त जी ने कहा उनका इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह है कि अब तक जो कानून बने है, वह कानून सबके ऊपर लागू नही है और हमारे ही देश मे इस प्रकार के लोग है जो कि मजहबी तौर पर एक नही बल्कि चार-चार शादिया कर सकते है। उनके उदाहरण अभी श्रीमती चूडावत ने बताये, मुझे भी यह ज्ञात है कि उस वर्ग के अनेक लोग ऐसे है जो यह समझते है कि हमारे शरियत मे सुधार होना चाहिये, शरियत जो है वह एटर्नल नही है, समय को देखते हुये जिन सुधारों की आवश्यकता है वह होने चाहिये। यह अनेक अच्छे-अच्छे मुसलमानो का मत है। किन्तु, एक भी मुसलमान स्त्री ऐसी नही मिलेगी जो यह कह सके कि मेरे रहते हुये दूसरी स्त्री घर मे आ जाय, लेकिन जबरदस्ती वह लाते है, एक नही चार चार लाते है और जब यह कहा जाता है कि इसको बन्द करना चाहिये तो कहते है कि यह हमारे शरियत के खिलाफ है। जैसा कि मैने अभी कहा कि शरियत मे किसी समय मे ऐसी बात रही होगी, किन्तु आज यह माग है कि यदि इस प्रकार की चीज पर्सनल लॉ मे दी है तो उनको बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि मेने अभी कहा कि सरकार धर्म-निरपेक्षता की बात तो बहुत करती है, किन्तु कानून बनाते समय वह भूल जाती है और मुझे आज भी सदेह है.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय): रिपीटिशन होता है।

श्री मान सिह वर्मा: ... कि सरकार मानने वाली नही है। रिपीट इसलिये कर रहा हू कि सरकार के कान खुल जाय, आज भी माननीय मत्री जी इस बात का आश्वासन दे सके कि इसको जैसा कि भाई सेनगुप्त जी ने कहा कि या तो पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दे या जो कानून अब तक बन चुके है उन कानूनों को सब के ऊपर लागू करे, युनिफार्म लॉ हमारे देश मे हो तो उचित होगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी सभ्य पुरुष, कोई भी--चाहे वह मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, हिन्दू हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो--इस बात के लिए कभी नही कह सकता है कि एक विवाहिता स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री घर मे लायी जाए। तो जब सब इसको मानते है और हम समझते है कि सोशल रिफार्म्स होने चाहिए, आज हिन्दू मैजारिटी कम्युनिटी है हमारे देश के अदर हिन्दू कोड बिल लाया गया, हिन्दुओ की सोसाइटी मे सुधार करने के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए गए, तो फिर दूसरे वर्गो के धर्म मे, सम्प्रदाय मे, यदि किसी प्रकार की विकृतिया है तो उसको सुधारने के लिए सरकार क्यो नही कदम उठाती, क्यो घबडाती है? क्यो सकोच होता है? सरकार के अदर एक ही सकोच की बात है कि वह उस वर्ग को नाखुश करना नही चाहती, बल्कि किसी तरह वह वर्ग खुश रहे और खुश रह कर हमको अपना वोट दे दे, इस नाते से वह काम करने के लिए सरकार तैयार हो जाती है, जो कि नही करना चाहिए। मै समझता हू कि यह अपीजमेन्ट की जो पालिसी है इसको दूर करना चाहिए और यदि यह सरकार समझती है कि आवश्यकता इस बात की है कि सोशल रिफार्म्स

किए जाए, तो सोशल रिफार्म सब का होना चाहिए। जो भी विकृतिया है, जो भी खराबिया है, उनको दूर करने के लिए कानून बनना चाहिए और मैं समझता हू कि यह विधेयक बडा सामयिक है, भाई सेनगुप्त ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मै माननीय मत्री जी से यह निवेदन करूगा कि यदि वे इस बिल को मानने के लिए तैयार नही हैं, तो अपनी तरफ से कोई दूसरा विधेयक, कोई दूसरा कानून, बनाए और इस सबध मे जो कानून अब तक बन चुका है उसको सबके ऊपर लागू करे। इस कुप्रथा को बद करने का प्रयास होना चाहिए।

इन शब्दो के साथ मै इस विधेयक का समर्थन करता हू।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदया, हम श्री सेनगुप्त की भावना का समर्थन तो करते है, इसलिए कि एक जनतान्त्रिक जीवन-प्रणाली मे, जनतान्त्रिक सामाजिक प्रणाली मे, बहु-विवाह का स्थान नही होना चाहिए। हम अपने जीवन के जनतान्त्रिक ढाचे को सुधारने और वैज्ञानिक ढग से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे है और इसी सदर्भ मे उन्होने जो भावना प्रगट की है, हम उसका समर्थन करते है। लेकिन हम उनके विधेयक का विरोध करते है। विधेयक का विरोध हम इसलिए करते है कि वास्तविकता हमारे देश मे यह है कि मुस्लिम अल्पसख्यक सम्प्रदाय मे सही या गलत, यह धारणा बैठी हुई है, फैली हुई है कि बहु-विवाह की प्रथा उनकी धार्मिक स्वतत्रता का एक अभिन्न अग है . . .

श्री मान सिह वर्मा केवल भारतवर्ष के मुसलमानो मे।

श्री योगेन्द्र शर्मा मैने कहा, सही हो या गलत।

श्री मान सिह वर्मा वह भी कहिए।

श्री योगेन्द्र शर्मा आपको उनको मार कर वोट लेना है, हमको उनको बचा कर वोट लेना है, यह बात जाहिर है, इस पर बहस करने की क्या जरूरत है।

श्री प्रेम मनोहर आप केवल ऊपरी शब्दो में कहते है, हम मन से कहते है उनके साथ है।

श्री योगेन्द्र शर्मा मन को देखने की अभी तक दूरबीन नही निकली है। तो सभापति महोदया, हमारे देश की यह एक कटु वास्तविकता है कि अल्पसख्यक मुस्लिम सम्प्रदाय के लोग यह मानते है कि बहु-विवाह उनकी धार्मिक स्वतत्रता का एक अभिन्न अग है। उनकी धार्मिक स्वतत्रता और उनके धर्म के क्रिया कलाप के बारे मे मै कोई विशेष ज्ञान नही रखता हू, इसलिए अधिकार-पूर्वक नही कह सकता हू, लेकिन जैसा कि श्री सेनगुप्त ने बतलाया, दुनिया के अधिकाश मुस्लिम बहुसख्यक देशो मे गतिविधि दूसरी तरह की है।

बदकिस्मती यह है कि हमारे देश के भीतर मुसलमान अल्पसख्यक लोगो को यह मालूम नही है कि इस्लाम को मानने वाले उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से मानने वाले लोग हैं। जो दूसरे देश है, हमारे चारो ओर के देश है, वे सामाजिक सुधारो को एक वैज्ञानिक दृष्टि से आगे ले जा रहे है और इस दिशा

[**श्री योगेन्द्र शर्मा**]

में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहा पर बदकिस्मती यह है कि हमारे यहा धर्म जीवन का एक अग है और इस सन्दर्भ मे मै उन लोगो से सहमति नही रखता हू। चूकि हमारे देश, हमारा राज्य, सेक्युलरिज्म को एक सिद्धान्त मान चुका है, इसलिए सेक्युलरिज्म मे इस चीज के लिए कोई जगह नही है। हम समझते है ठीक इसके विपरीत कि सेक्युलरिज्म मे हर एक को धर्म के सम्बन्ध में पूरी स्वतंत्रता है। जिस तरह से सेक्युलरिज्म हमारा सिद्धान्त है, उसी तरह से इस सिद्धान्त को भी स्वीकार किया गया है कि हमारे देश मे जितने लोग बसते है, चाहे वे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, सभी को अपने-अपने धर्म के बारे मे स्वतत्रता है।

यह तो हमारे देश की बात है, लेकिन सोवियत रूस जिस को आप बहुत से लोग एक नास्तिक देश कहते है, वहा पर भी सविधान द्वारा हर एक नागरिक को धर्म के बारे मे गारन्टी मिली हुई है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) जब सोवियत रूस को एक धार्मिक देश मान लिया गया है, तब वहा का जो धर्म है वह तो कम्युनिज्म ही है और उसका पालन हो रहा है।

श्री योगेन्द्र शर्मा आपके मुह से इस तरह की वाणी सुन कर खुशी होती है। लेकिन मै यह कहना चाहता हू कि वहा पर भी धार्मिक स्वतत्रता की गारन्टी है और हमारे देश मे भी धार्मिक स्वतत्रता की गारन्टी है।

श्री प्रेम मनोहर: क्या वहा पर धार्मिक स्वतत्रता है?

श्री योगेन्द्र शर्मा: है और अगर इस बारे मे आपको किसी प्रकार का शक है तो आप उनके सविधान को देख सकते है।

श्री मान सिंह वर्मा: आप उनके स्पोक्शमैन है, इसलिए आपकी बात को मान लेते हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा: तो हमारे देश मे भी धार्मिक स्वतत्रता की गारन्टी है और धार्मिक स्वतत्रता और सेक्युलरिज्म परस्पर विरोधी चीज नही है बल्कि एक दूसरे के सहायक है चूकि हम सेक्युलरिज्म को मानते है, इसलिए यदि कोई वर्ग, कोई समुदाय, किसी चीज को धर्म के रूप मे ले, तो हमे उसके सेक्युलरिज्म का खडन नही करना चाहिये। उसका खडन दूसरे आधार पर करना चाहिये।

हमने यह भी निवेदन किया और यह एक कटु वास्तविकता है कि इस चीज को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज करनी है तो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से, जनतात्रिक दृष्टि से करना चाहिये और इस तरह के सामाजिक सुधारो को धर्म से अलग कर के करना चाहिये। इस तरह का दृष्टिकोण पैदा करके हमे इस तरह के कार्यो को करना चाहिये। खुशी की बात है कि इस तरह का दृष्टिकोण पैदा हो गया है। लेकिन जब तक अल्प सख्यको मे से बहुसख्यक लोग इस दृष्टिकोण के नही हो जाते, इस जगह पर नही पहुचते, तब तक जबरदस्ती किसी के ऊपर कानून लादने मे उसकी मन्शा पूरी नही होगी। क्योंकि सामाजिक सुधार का जो प्रश्न है, वह ऐसा प्रश्न है कि हमको इस बारे मे समाज मे

आचरण करना पडता है और इस आचरण मे एक स्थायी स्फूर्ति होनी चाहिये। हिन्दू समाज, को सुधारने के लिए तब कदम उठाये गये, जब हिन्दू समाज के अन्दर बहुसख्यक लोगो मे इस तरह की भावना पैदा हो गई थी, तभी वह कानून बनना सम्भव हुआ और कानून बन जाने के बाद बहुत से अल्पसख्यक है हिन्दू समाज के भीतर, जो उसके विपरित आचरण कर रहे है। उपाध्यक्षा महोदया, तिलक प्रथा को लीजिए, कानून वर्जित है, मगर फिर भी लोग ले रहे है। बाल विवाह की प्रथा ले लीजिए, कानून वर्जित है—यह मै हिन्दू समाज के भीतर की बात कह रहा हू, लेकिन फिर भी बाल विवाह चल रहा है।

श्री मान सिंह वर्मा : कानून तो बन गया।

श्री योगेन्द्र शर्मा : लेकिन कानून तब बन गया, जब हिन्दू समाज का बहुमत यहां पहुच गया कि ऐसा होना चाहिए। बदकिस्मती से मुस्लिम समाज के भीतर ऐसा बहुमत नही बना है, इसलिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उनके भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जनतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाने की सुविधा सबको विशेष मिले और वह समय जल्द से जल्द आए ताकि इस तरह का कानून बन सके। इसी सिलसिले मे मुझे यह भी निवेदन करना है...

श्री मान सिंह वर्मा : उपसभाध्यक्षा महोदया, मै माननीय शर्मा जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हू। यह उनकी बात ठीक है कि किसी पर कोई बात थोपनी नही चाहिए, किन्तु समाज की विकृतियो को दूर करने के लिए, हिन्दुओं की सामाजिक कुप्रथाओ को दूर करने के लिए जो कानून आज तक सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों को बनाने से पहले क्या हिन्दुओ की कोई ओपीनियन ली गई थी? नही ली गई थी। ऐसा समझते थे कि यह कुप्रथा है, इसको दूर करना है और उन्होने कानून बना दिया। अब आप इस बात का ढिंढोरा पीट रहे है कि मुसलमानो की ओपीनियन मालूम करनी चाहिए। मै तो कह सकता हू कि बहुसंख्यक मुसलमान ऐसे है जो इसको पसन्द करेंगे। आज तक हिन्दुओं मे नही पूछा गया कि यह कानून बनाया जाय या नही बनाया जाय। Public opinion was never sought.

श्री योगेन्द्र शर्मा : उपाध्यक्षा महोदया, हमने निवेदन किया कि हिन्दू समाज को सुधारने के बहुत से कानून बने जिनकी हमने चर्चा की और उसके साथ-साथ हमने यह भी कहा कि अभी भी कुछ आदमी उन कानूनों के विपरित आचरण कर रहे है, यह दुःख की बात है लेकिन वे कानून बने जब हिन्दू समाज के भीतर बहुमत इस पक्ष में हो गया। अब इस बहुमत के लिए कोई रिफरेडम या कोई प्लेबिसिट या कोई इस तरह की चीज नही हुई, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जो जमात होती है, उनमें जो विचार होते है, उन्ही के माध्यम से यह जाना जाता है। अभी हमारे देश मे मुस्लिम अल्पसख्यकों के जितने भी संगठन है और जो अखबार हैं उनको देखने से पता चलता है कि वे तमाम के तमाम इसके खिलाफ है। मुस्लिम अल्पसख्यकों के भी संगठन है, तरह-तरह के विचार रखने वाले संगठन है, लेकिन वे अधिकाश इसके खिलाफ हैं। तो यह इस बात को बतलाता है कि अभी बहुमत इस पक्ष मे नही है। यही मापदंड है जिससे

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

हम कह रहे है कि बहुमत अभी पक्ष मे नही है। इसीलिए हमने कहा है कि जबरदस्ती किसी को स्वर्ग भी नही भेजना चाहिए। कहा जाता है कि जबरदस्ती स्वर्ग भेजने मे त्रिशकु बन जाता है। हमारे जनसघ के भाई लोग त्रिशकु बनाना चाहते है। हम तो त्रिशकु नही बनना चाहते है, हम तो इस दुनिया मे रहना चाहते है, नही तो स्वर्ग जाना चाहते है और स्वर्ग मे भी जबरदस्ती नहीं जाना चाहते। हम वह वातावरण पैदा करना चाहते हैं, वह परिस्थिति पैदा करना चाहते है ताकि लोग स्वेच्छा से स्वर्ग जाय और जब स्वेच्छा से स्वर्ग जाने के लिए तैयार होगे, तब हम जरूर उस कानून का, विधेयक का समर्थन करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए वातावरण अनुकूल नही है, परिस्थिति अनुकूल नही है, शैक्षणिक और प्रचारात्मक काम करने की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक और जनतात्रिक दृष्टिकोण उस खास सम्प्रदाय के लोगो मे आए। जब तक यह चीज नही आती तब तक विधेयक के जरिए से यह काम पूरा नही हो सकता। समाज सुधार का काम विधेयक से कभी पूरा नही होता है। विधेयक बहुमत को कानूनी रूप देने के लिए होता है। बहुमत पूर्वावस्था है। वह बहुमत अभी पैदा नही हुआ है। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि सरकार को भी इस दिशा मे शैक्षणिक और प्रचारात्मक चीजो को उपलब्ध कराने के लिए ज्यादा ठोस कदम उठाना चाहिए। तो इन्ही शब्दो के साथ, हम सेनगुप्त महोदय की भावना का

श्री मान सिंह शर्मा: आदर करते है।

श्री योगेन्द्र शर्मा: आदर करते है लेकिन उनके विधेयक का विरोध करते है।

श्री कासिम अली आबिद (आध्र प्रदेश) डिप्टी चेयरमैन साहब, आनरेबल मैम्बर मुस्तसीन गुप्ता जी ने अयूब खा का भी नाम लिया। अयूब खां का कानून या उसका कहा हुआ मुसलमानो के लिए कोई मुसलमा नही है। इसलिए कि आप जानते है, बल्कि आज सारी दुनिया इस बात को मानती है कि मुसलमानो मे हिन्दुस्तान के मुसलमानो की हालत या हिन्दुस्तान के मुसलमानो का मजहबी मामला बहुत मुर्फीद है। इस्लाम के नाम पर तो पाकिस्तान बना, लेकिन इस्लामी कानून पर क्या वह चल रहे है? बिलकुल नही चल रहे है। मै एक ऐसे तबके का आदमी हू, असार बिरादरी हिन्दुस्तान मे जो 4 करोड के लगभग, हमारी पूरी बिरादरी ने दो कौमी नजरिये की भी मुखालफत की है। एक मुल्क की तकसीम की भी मुखालफत की है। आज तक भी हमने पाकिस्तान को नही माना। लेकिन जब मजहबी मामलात आते है तो मजहब को भी हम तहफुज करना चाहते है। हम मजहब पर पाबन्द रह कर मुल्क के सेकुलर निजाम को बरकरार रखना चाहते है। भाई सेनगुप्त ने जिस लहजे मे बहुत सी मुसलमान महिलाये इसके खिलाफ है, इसका हवाला उन्होंने दिया और कहा कि महाराष्ट्र मे मुसलमानो की एक कांफ्रेंस हुई जिसमे मतालबा किया गया अनेक शादिया का। लेकिन आप जानते है, आप इस बात को जानते है कि इस्लाम एक फितरी मजहब है। इस्लाम के जितने कवानून है वह सब फितरत पर चलते है। नमाज पढना हो, हज करना हो या पाच वक्त की नमाज हो, इसी तरह मे जितने भी कवानीन है उनमे 4 बीवियो की हद तक जो सहूलियत या जो मराद दी गई है वह

मै आपको यकीन दिलाता हूं कि लाखों मे एक भी नही है जो दो बीवियां रखता हो, तीन बीवियां रखता हो। मै तो दावा करता हूं, मेरी पूरी फैमिली मे दो बीवी वाला कोई भी नही है। चार बीवियां तो बहुत बडी बात है। लेकिन समाज का एक माहौल होता है, जिसमें चार बीवियां भी कोई करता है। लेकिन मै आपकी तवज्जो, हाउस की तवज्जह मबजूल कराना चाहता हूं कि आज शहरों मे क्या हो रहा है। लोग मजबूर है, खाने के लिए मजबूर है। शहरो मे भ्रष्टाचार हो रहा है और ममा-मली सिक्कों की झनकार पर लडकियों को नगा नचाया जाता है, क्लबें चलती है। पहले इनका सुधार हमको करना चाहिए।

जैसी हमारी सैकुलर गवनमेट है, उसमें हर मजहब को पूरी मजहब की आजादी, उसका अपने मजहब पर पाबन्द रहने की पूरी आजादी दी गई है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे मामलात मे हुकूमत को जल्द-बाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जैसा हमारे भाई योगेन्द्र शर्मा जी ने कहा, इस मामले को उनके हवाले ही कर देना चाहिए कि वाकई उन लोगो की अक्सरियत है। कई चीजो मे उनमे पूछना चाहिए कि क्या लोग इसके लिए तैयार है कि नहीं। अगर दो चार लोग, किराये के टट्टू कही महिला कांफ्रेस के नाम पर, नीद नुमाइश के नाम पर अगर ऐसा करना चाहते है तो वह उसका एक शो बताना चाहते हैं। तो उसको मुसलमानो की राय न समझा जाए, बल्कि उसको यह समझा जाए कि वह एक आवाज है। एक दफा पहले भी कांफ्रेस हुई और वह आवाज दब कर रह गई। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि इस मामले में जल्दबाजी न की जाए। जो हमारी गवनमेंट आज सैक्युलर गवनमेंट कहलाती है, इसलिए आपको इस पर गौर करने की जरूरत है। इस ममले पर जल्दबादी मे काम लेने मे मामला बिगड जाएगा और दूसरों के हसासत का खयाल **रखते** हुए भी इस मामले को जरा पब्लिक ओपीनियन के लिए छोड़ देना बेहतर है।

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA) in the Chair.]

इसलिए मैने जैसा अर्ज किया, यह एक फितरी मजहब है और जो बुराइया फैलने का माहौल है उस बिना पर चार शादिया करने का अधिकार दिया गया। लेकिन आज हमारे हिन्दुस्तान मे बहुत हद तक बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज है—आज लोग भी वाकिफ़ होगे, जनाब सदर साहब भी वाकिफ होगे—बहुत सी फैमिलीज है जिनमें दूसरी बीवी को शादी करके लाना मायूस समझा जाता है। वे शादी नही करते।

लेकिन इसके बावजूद चूकि उसके अन्दर परवरिश करने की सलाहियत मौजूद है, मसावी तौर पर सलूक करने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए इसकी इजाजत होनी चाहिए। बावजूद हजारो लाखो के एक भी मिसाल आप ऐसी नही बता सकते जिसमे ऐसा न होता हो। इसलिए ऐसा कानून लागू करने से कोई फायदा नही है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि जो कानून लागू किया जाता है उसकी खिलाफवर्जी करने के लिए लोग अक्सर बजिद हो जाते है। जैसे शुगर पर कट्रोल होने से उसकी ब्लैकमार्केटिग होती है, उसी तरह इस पर

[श्री कासिम अली आबिद]

अगर आप कंट्रोल लगायेंगे तो लोग चार शादियां कर के उस कानून की खिलाफ-वर्जी करेंगे। इसलिए मेरी राय है कि इस मामले को अभी रोका जाय और जब माहौल ठीक हो, उस वक्त इसको अवाम की राय जानने के लिए भेजा जाय और उनकी राय ली जाय, वरना वह अकलियाती तबका जो हुकूमत की हिफाज़त का आज मुस्तहक है, उसके एहसासात और जजबात मजरूह होंगे।

इन अल्फाज के साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि इससे थोड़ी नर्मी बरती जाय और इसको अभी थोडी तूल दी जाय।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो विधेयक आज सदन में उपस्थित है उसका मै कई कारणों से समर्थन करता हूं। उसका मैं सिर्फ इस लिए समर्थन करना नही चाहता कि संविधान के आर्टिकिल 44 में जो डाइरे-क्टिव प्रिंसिपुल है, उसमें एक प्रकार के सिविल कोड की व्यवस्था करने का उल्लेख है। मैं सिर्फ इसलिए भी इसका समर्थन नही करना चाहता कि सरकार ने समय-समय पर आश्वासन दिये हैं कि सभी भारतीयों के लिए एक प्रकार का सिविल कोड बनाया जायगा। मैं और भी कई कारणो से इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, विवाह के बाद पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह विवाह के प्रयोजन पर विचार करे। जहां तक परि-वार चलाने की बात है, परिवार चलाने के पहले जिस स्नेह सूत्र में वे बंधते हैं और वह स्नेह सूत्र में बन्धने की जो प्रक्रिया है, वह पुरुष और पत्नी दोनों के हृदय में उत्पन्न होती है। हमारे इतिहास और परम्परा के अनुसार एक स्त्री जिस पुरुष को एक बार अपने हृदय मे स्वीकार कर लेती है उसको जीवन पर्यन्त निभाती है। उसी प्रकार किसी स्त्री से या लड़की से जिस पुरुष को स्नेह मिलता है वह भी चाहता है कि उसका स्नेह जीवनपर्यन्त बना रहे।

बीच में समाज की गडबड़ी से अवांछनीय तत्वों से इसमें आघात उत्पन्न होते हैं और मैं समझता हूं कि किसी समुदाय की रूढिवादिता को, किसी गडबड़ी को दूर करने के लिए ही समाज का और सरकार का गठन होता है। अगर उस गडबड़ी को दूर न किया जाय तो बहुत जगह गडबड़ी ही नहीं होगी, बल्कि और दूसरी बातें भी हो सकती हैं। आज जगह-जगह सुनाई पडता है कि बड़े-बड़े राजनीतिक प्रभावी नौकर-शाही वाले लोग काल गर्ल्स के चक्कर में पडते हैं। बहुत से पुराने रईस वेश्या-लयों की शरण लेते हैं। तो समाज में विकार उत्पन्न होते हैं और उन को हम सामाजिक ढ़ंग से ही रोकते है और जब विकार ताक़तवर हो जाता है तो सरकार कानून बना कर उस को रोकती है। विवाह का जो प्रयोजन है वह बतलाता है कि एक पुरुष और एक नारी का संयोग ही परिवार के लिए अच्छा है और संसार के सारे समाजों ने इस को स्वीकार किया है। वैसे जब हम हिन्दू धर्म को देखते हैं तो धर्म और संप्रदाय की जो जो परिभाषाये चली है उनमें हिन्दू धर्म के नाम पर अनेक लोग नाक भौं सिकोड़ते है, लेकिन वास्तव में जिसने उसका अध्ययन किया है, जो उसका अनुकरण करने वाले हैं वह इसको देख समझ कर यह माने बिना नही रहेगा कि हिन्दू जीवन एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। उसमें जब

जब गडबडी ग्रायी है तो उस मे सुधार हुग्रा है ग्रौर सैकडो ग्रौर हजारो साल से उस मे सुधार होते रहे है। यह सही है कि एक विवाह के बाद ग्रपवाद के रूप मे कही-कही दूसरे विवाह की बात लागू की गयी है, लेकिन वह दूसरा विवाह जीवन का ग्रग नही, समाज का कोई कानून नही, समाज की कोई निश्चित प्रथा नही है। इस सन्दर्भ मे जब मै देखता हू कि इतने बडे देश मे 26 वर्ष की ग्रजादी के बाद भी समाज के एक बहुत बडे वर्ग को ग्रल्पसख्यक कह कर शोषित किया जाता है ग्रौर जब कभी उसके बारे मे कोई सुधार का काम किया जाता है तो लगता है मानो उस पर कोई पहाड या बज गिर पडेगा, तो दु ख होता है। ऐसा माना जाता है कि कोई सुधार होने से वह ग्रल्पसख्यक समाज ही मिट जायगा ग्रौर जब ऐसी ग्रावाज राजनीतिज्ञो की ग्रोर से बुलन्द की जाती है तो हमारी सरकरी बैंचे मत के फेर मे घबडाहट मे फस जाती है। ग्राज उत्तर प्रदेश उसका एक नमूना है। ग्राज उत्तर प्रदेश मे हमारी काग्रेस परेशान हो रही है ग्रौर वह इसलिए परेशान हो रही है कि वहा पर मुस्लिम मतदाताग्रो की सख्या बहुत बडी हे ग्रौर ग्राज मुसलमान किसी कारण से काग्रेसी सरकार मे सख्त नाराज है। सरकार इस बात मे लगी हुई है कि कौन सी गतिविधि लगायी जाय, कौन सा ऐसा कार्य किया जाय कि जिससे वह ग्रपने मुसलमान बधुग्रो को प्रसन्न कर सके ग्रौर जिस प्रकार से वह ग्राज तक मुसलमानो के वोट प्राप्त करती रही है, उसी प्रकार से वह ग्रागे भी उन के वोट प्राप्त कर सके। कोई कारण नही था कि उत्तर प्रदेश मे ग्राप उस शासन को प्रतिष्ठित न करे कि जिसका वहा बहुमत है, ग्रोर न ही ग्राप उस शासन को समाप्त ही करते है, न वहा पर नये चुनाव कराते है। ग्राप वहा किसी भी तरह से समय काटना चाहते है ग्रौर ग्रवसर प्राप्त करना चाहते है कि किसी प्रकार से ग्राप वहा के मुस्लिम समुदाय को ग्रपने पक्ष मे करे। ग्राप ने उनको गवर्नर दिया, एडवाइजर्स दिये। लेकिन उससे भी ग्रापको सतोष नही हुग्रा। हमारे बिहार मे भी उसी के ग्रनुकूल ग्रापने मुख्य मत्री को प्रनिष्ठापित किया, फिर मुख्य सचिव, फिर ग्राई० जी० उसी के ग्रनुसार दिया कि उत्तर प्रदेश के बगल मे रहने के कारण बिहार के कार्यकलाप से ग्राप उसको कुछ प्रभावित कर सके। ग्राप जरा याद करे कि जब-जब ऐसी बात ग्रायी है तब-तब नैतिकतावश सामाजिकतावश ग्रापने स्वीकार किया है कि ग्राप एक प्रकार का सिविल कोड लायेगे। सचमुच मे हम भारतीय है, लेकिन यदि हिन्दू समाज ग्रड जाता तो शायद ग्राप शारदा ऐक्ट ग्रौर हिन्दू कोड बिल नही ला सकते थे। ग्रापको पता था कि इसका विरोध होगा, लेकिन इस पर मतदान की बात नही ग्रायेगी। जैसा कि ग्राज हमारे बन्धु कह रहे थे कि ग्राप इसको ज्यो का त्यो रहने दीजिए, इसको छेडिये मत जैसे कि लगता है कि बरौ का छत्ता हो कि छेडने के बाद समूचे के समूचे सरकारी पक्ष को काटने के लिए छत्ते मे टूट पडेगे। सचमुच मे विचार करन कि कोई बात है तो यह बात है कि एक ग्रादमी एक समय मे चार पत्नी रख सकता है या नही। ग्रगर ग्राप समझते हो या मुसलमान भाई यह समझते हो कि चार पत्निया रखना सामाजिक दृष्टिकोण से, ग्राथिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रौर राजनैतिक दृष्टिकोण से ठीक है तो उसकी इन शब्दो के साथ, इन तर्को के

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]
साथ वकालत करनी चाहिये वर्ना सिर्फ छेडखानी दिखा कर, डरा कर, इस बात की वकालत नही करनी चाहिये। यह कहना कहां तक ठीक है कि किसी जगह पर अगर मुस्लिम महिलाओ ने इस बहु-विवाह के विरुद्ध जलूस निकाला, सभाये की तो यह उन लोगो ने किया और वह लोग भी शायद किसी के बहकाने मे आ गये या किसी के पैसा खर्च करने पर किया। समाज मे सुधार का काम समाज का बहुत बडा वर्ग सुरू नही करता, समाज मे सुधार का काम कुछ विद्वान, कुछ समाजसेवी, कुछ समाज सुधारक, जो अग्रसोची है, जो दूर तक देखते है, वही लेते है। पहले उनका विरोध होता है लेकिन धीरे-धीरे समाज उसको ग्रहण करता है। सरकार ने 26 वर्ष से इस बात को अनुभव किया है कि किसी को चार-चार शादियो के करने की इजाजत नही दी जाय, लेकिन आप एकता की बात करते है, एकनिष्ठा की बात करते है, समता की बात करते हे, समाजवाद और समानवाद की बात करते है, लेकिन समाज मे मनुष्य के लिए जो सबसे बडी चीज विवाह की वात है उसमे समानता लाने का कोई प्रयास नही कर सकते, दिल मे सोच लेने के बाद भी, मुह से उसका उच्चारण करने के बाद भी आप उस ओर अगर एक कदम आगे नही बढा सकते तो फिर कैसे भरोसा किया जाय कि आप साहस करेगे उचित कदम उठाने के लिये।

श्रीमन्, परिवार नियोजन चलाया जाता है। किसलिये? इसलिये कि आबादी बहुत बढ़ रही है, आबादी नही बढनी चाहिए, अन्न की कमी है, जिस प्रकार परिवार मे वृद्धि हो रही है उस हिसाब से अन्न की पैदावार नही हो रही है, इसलिये लाखो नही बल्कि करोडो आने वाले भारत के भविष्य को, भारत के भाग्य-निर्माता को या तो पेट मे आने से पहले रोके या आ जाय तब रोकें, लेकिन मै पूछना चाहता हू कि यह परिवार नियोजन चार-चार विवाह के सामने मखौल नही है क्या? एक तरफ आप कहते है कि तुम चार विवाह करते जाओ और दूसरी तरफ परिवार नियोजन का ढिढोरा पीटो, चारो तरफ बडे-बडे चित्रपट लगा कर के, साइन-बोर्ड लगा कर के प्रचार करो।

श्रीमन्, इससे दो तत्व और भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकट होते है। क्षमा करे मुझे मुसलमान भाई। पाकिस्तान का निर्माण सिन्ध और फ्रन्टियर के मुसलमानो ने नही किया था। सिन्धो मे एक बार काग्रेस का बहुमत था और फ्रन्टियर मे भी सीमान्त गाधी उसके प्रबल विरोधी थे। अगर पाकिस्तान का सृजन करने मे किसी का हाथ रहा है तो स्टेट मे हैदराबाद का रहा है, विश्वविद्यालय मे अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय का और प्रदेशो मे बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानो का रहा है। उस समय के आकडे उठा कर के देखें। मतनदान के आकडे उठा उठा कर के देखे। आप देखेगे कि उस विचार को देने वाले और काग्रेस को घबडाहट मे डालने वाले आज यहा उपस्थित है, हो सकता लीग से परिवर्तन कर, आपकी टोपी पहिन कर आपके बीच घुसपैठ कर गये हो।

श्री ए० जी० कुलकर्णी (महाराष्ट्र) आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे है क्या?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मै आपके द्वारा दो बाते उनको कहना चाहता हू। एक तो यह कि आप साहस करके, दिल से जो बात आप करना चाहते है उसको करने की हिम्मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जो समता की बात करते है वह मुसलमान इतर महिलाओ को ही नही उनको भी मिले। एक बार फैसला होगा, बाद मे बराबर के लिए हो जाएगा। इसलिए मै कह रहा था, अगर आप परिवार नियोजन चाहते है तो उस प्रयोजन के लिए अगर आप इस विधेयक को लागू नही करते है, तो भविष्य मे क्षेत्रीय असतुलन की बात आएगी। आपने केरल मे मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनायी। आपने कहा कि केरल की जो मुस्लिम लीग है वह पुरानी मुस्लिम लीग नही है जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया। लेकिन जो मुस्लिम लीग के प्रधान है वे कहते है वही मुस्लिम लीग है। इसी भारतवर्ष मे बदे मातरम् का विरोध, इसी भारतवर्ष मे राष्ट्र-निर्माता प० जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पढने मे विरोध उस लीग के द्वारा हुआ और विरोध को आपने स्वीकार किया। अगर इसी तरह मे आप चलते रहेगे तो राष्ट्र को फिर खण्डित करने की ओर पैर बढाएगे। उसको एकता की ओर एक सुदृढ राष्ट्र की निष्ठा की भावना बढाने मे आपका सहयोग नही होगा। इसलिए जब तक आप अपनी दृढता का परिचय नही देते है, तब तक यह काम आपसे आसानी से नही होगा।

श्रीमन्, बडे-बडे नवाब चले गए जिनके हरम मे सैकडो नारिया रहती थी। उनकी सारी शक्ति सरकार के सामने तिनके की तरह खत्म हो गई। लेकिन चार शादी की नवाबी सरकार नही खत्म कर पा रही है—पता नही क्या? आज तो अपने देश मे शासन का सूत्र अपनी महिला प्रधान मत्री के हाथ मे है और महिलाओ के कष्ट का निवारण अगर महिला प्रधान मत्री के शासन-काल मे नही हुआ तो फिर पुरुष तो चाहेगा कि यह प्रथा कायम रहे—उनका पुरुषत्व शायद इसी पर आधारित रहेगा। तो मै आज मत्री महोदय को कहूगा कि आप अपना खयाल छोड कर, जिसके नेतृत्व मे शासन की बागडोर चला रहे है, उसके ऊपर कुछ खयाल कीजिए। आज आवश्यक है कि आप एक समान कोड बिल का सिर्फ आश्वासन मात्र ही नही दे कि हम इस बारे मे आश्वासन देना चाहते है—जिस प्रकार के और आश्वसन भी देते आए है—बल्कि आप एक निश्चित तिथि बताइए। इसलिए मै कहता हू कि आप मिस्टर सेनगुप्त के विधेयक को स्वीकार करने के लिए आगे न बढेगे, अगर आप आगे बढेगे तो यह बडी प्रसन्नता की बात होगी, सभी का समर्थन भी मिलेगा और सोचा जाएगा सचमुच मे आपने अन्न की महगी नहीं मिटायी, बेकारी नही मिटाई, भ्रष्टाचार नही मिटाया, लेकिन समाज का एक भ्रष्टाचार मिटाने मे एक कदम आगे बढा कर आपने दिखलाया है। अगर आपको थोडा सा सबूत देखना हो कि क्षेत्रीय असतुलन का क्या रूप हिन्दुस्तान मे उभर रहा है तो आप लद्दाख की ओर देखिए। लद्दाख मे लामाओ की सख्या अधिक है, मुस्लिम भी वहा है। लद्दाखी लामा एक शादी करता है, मुस्लिम चार शादिया करता है। उसी लद्दाख मे क्षेत्रीय असतुलन कायम करते जा रहे है और लामाओ मे एक विरोध की भावना प्रगट हो रही है। यह प्रत्यक्ष चीज वहा पर प्रगट हुई है और अगर इसी प्रकार की प्रथा चलती

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

रही तो वह समय दूर नही कि यह असतुलन देश के अन्य भागो मे उभरता हुआ दिखायी देगा।

एक बात जरूर है और जिसको हमारे शर्मा जी ने भी कहा है कि हमे कानून लाद कर किसी के ऊपर जबरदस्ती नही करनी चाहिये। हमे पहिले उसकी भावना और उसके विचारो मे सुधार करना चाहिये। यह बात ठीक है, क्योंकि सिर्फ कानून लाद देने से यह प्रथा बिलकुल समाप्त नही होगी। जिस तरह से शारदा ऐक्ट का हाल हुआ, हिन्दू कोड बिल का हाल हुआ, उसी तरह से इस कानून का भी हाल होगा। लेकिन जब आप इसको कानूनी रूप दे देगे तो धीरे-धीरे उन महिलाओ मे भी जागृति आयेगी जो इसका विरोध करना चाहती है। दूसरी तरफ जो इसका समर्थन करना चाहती है, उन्हे भी इस कानून के शिकजे मे फसने का डर रहेगा। आपने यह कानून बना दिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी दो शादी नही कर सकता है। मै आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हू कि पटना मे एक डाक्टर थे .

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री योगेन्द्र शर्मा) यादव जी, अभी कुछ और माननीय सदस्य बोलना चाहते है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : तो मै यह कह रहा था कि उस डाक्टर को दूसरी शादी करने की नौबत आ गई। उसने मुसलमान धर्म अपना लिया और इस तरह से दूसरी शादी कर ली। तो मै यह कहना चाहता हू कि क्या आपने उसको दूसरी शादी करने से रोक लिया? जब वह मुसलमान धर्म स्वीकार करके दूसरी और तीसरी शादी कर सकता है, तो आप इस चीज को नही रोक सकते। यह जो क्षेत्रीय असतुलन की समस्या है, जो समान अधिकार की बात है, इसको किसी न किसी रूप से खत्म करना चाहिये। इसीलिए हमारे सेन साहब ने यह बिल रखा है। मै तो मत्री जी से आग्रह करूगा कि वे इसे स्वीकार कर ले, क्योकि उन्हे इससे सुविधा रहेगी और इससे एक महीला प्रधान मत्री के काल का एक सबूत होगा कि उन्होने महिलाओ के लिए कारगर कदम उठाये और इस देश मे जो एक सामाजिक कोड और एक सामाजिक ताडना थी, उसको दूर करने मे उन्होने हिम्मत के साथ कदम उठाया।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, यह विधेयक ऐसा है कि इसका विरोध करना मेरे लिए बहुत कठिन है। चूकि यह विधेयक मेरी अपनी भावना के बिलकुल अनुकूल है, परन्तु रास्ते मे एक राजनीतिक समस्या खडी हो जाती है। जनतत्र के माने यह होते है कि पार्लियामेट किसी भी समुदाय के ऊपर कोई कानून थोप नही सकती है। जनतत्र आदर्श तब होता है जब जनता किसी परम्परा को, किसी अधिकार को अपना ले और फिर उस परम्परा को कानून का शक्ल देकर उसमे मुहर लगा दे। इस तरह से पार्लियामेट जो है, वह जनता की भावना के ऊपर मुहर लगा देती है, और कानून बना देती है। इस तरह से जनता के जो रिवाज है उन रिवाजो को वह पक्का कर देती है। जिस समय पोलीगेमी रोकने के लिए कानून बनाया गया था, उस समय मैने माना कि मुसलमानो को इसमे छूट है, लेकिन 100 फीसदी हिन्दुओ के अन्दर यह भावना थी कि इसके होने मे कोई कठिनाई नही है।

मेरा खयाल यह है कि आप जो यह कानून बना रहे है इसमे हिन्दुओ के हित का कोई सवाल ही नही है, यह तो राष्ट्र के हित मे कानून है और मुसलमानो के हित मे भी है। लेकिन इस कानून को बजाय सेनगुप्त साहब के रखने के, अगर फखरुद्दीन अली अहमद रखते या प्रो० नूरुल हसन रखते तो बहुत अच्छा होता। वे चूकि मुसलमान मेम्बर है, वे सब मुसलमानो की मीटिंग बुलाते और उनके सामने इस तरह का कानून रखते कि इस तरह का जो रिवाज है वह एक गलत रिवाज है। इस चीज का सारे देश मे प्रचार करते कि यह जो रिवाज है वह एक गलत रिवाज है। दूसरे मुसलमान मुल्को ने इस रिवाज को तोड दिया है, हटा दिया है, इसलिए आप भी इस रिवाज को तोडने के लिए कानून बना दो। इस चीज के लिए जगह-जगह जल्से होते और सारे देश भर मे इसके लिए एक एटमाशफियर बनाया जाता और इसके बाद पार्लियामेंट मे कानून लाया जाता। अगर इस तरह की बात करते तो वह ज्यादा उचित होता। अगर हम इस तरह का कानून बना देते है तो मुसलमान जो एक तरह मे अल्पसख्यक है, उनके दिल मे इस तरह का शक पैदा होगा। इससे हिन्दुस्तान के अन्दर अमन नही होगा और हिन्दुस्तान को नुकसान पहुचेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि यह कानून मुसलमानो के बीच मे सर्कुलेट कर दिया जाय, मुसलमानो की राय इकट्ठी की जाय और उनके अन्दर एक आबोहवा पैदा कर दी जाय ताकि वे सब लोग, अकेली उनकी स्त्रिया ही नही, स्त्री और पुरुष सब मिल कर इसको सपोर्ट करे। उसके बाद इसका पास करना ज्यादा अच्छा होगा। मुल्क के हित के लिए यह आवश्यक है कि हमारी आपस की यूनिटी छोटी-छोटी बातो से खराब नही होनी चाहिए। ऐसा नही है कि हम कर नही सकते, हम कानून तो पास कर सकते है, पर पार्लियामेंट को जरा समझदारी बरतनी पडेगी ताकि कानून ऐसा न हो जिससे देश के अन्दर गलत-फहमिया आपस मे पैदा हो। जनता की एकता नही टूटनी चाहिए। इसलिए मेरा अपना खयाल यह है कि--वैसे अगर देखा जाय तो मुसलमानो को चार शादिया करने का अधिकार है, लेकिन मेरी जानकारी मुसलमानो से है और 100--125 मे से मुश्किल से तीन-चार होगे, जिन्होने एक से ज्यादा शादी की हो, ज्यादातर एक ही शादी करते है और ये तीन-चार बुजुर्ग ही होगे नौजवान लडके तो दो शादिया नही करते है--इसको मुसलमानो के बीच उनकी राय के लिए सर्कुलेट किया जाय तो मुसलमान लोग इसको सपोर्ट करेगे। इसलिए हमको जल्दी नही करनी चाहिए और मुसलमानो का सपोर्ट लेने का इन्तजाम करना चाहिए।

मै अपनी बहिन चूडावत जी के जजबात से सहमत हू, लेकिन हम अकेले स्त्रियो का खयाल करे, पुरुषो का खयाल न करे, यह ठीक नही है। हमको स्त्री पुरुष सबके साथ न्याय करना चाहिए। मै एक बार अपनी कास्टीट्यूएन्सी मे गया था डिस्ट्रिक्ट माजिस्ट्रेट के साथ एक कमेटी मे रिफार्म करने के लिए। हमारे यहा पोलिएन्ड्री का रिवाज है, बडे भाई की शादी हो जाती है और जितने छोटे भाई होते है वे सब आटोमेटिकली उसी स्त्री के हस्बेंड हो जाते है। उसमे कोई शादी की जरूरत नही पडती है। बडे भाई की शादी होती है और उसके छोटे भाई सब उस स्त्री के पति माने जाते है। मै देहरादून के उस पहाडी इलाके मे गया तो देखता

[श्री महावीर त्यागी]

हू कि एक लडकी एक बच्चे को खिला रही है। मैंने उससे पूछा कि यह तेरा बेटा है। उसने मुझे आख निकाल कर गालिया दी बदतमीज कैसी बात करता है। मेरे साथ अंग्रेज कलेक्टर भी था। उसने बच्चे को चूमकर कहा कि यह मेरा सबसे छोटा खाविन्द है यानी वह बच्चा उसकी सास के हुए था और इसलिए वह उसका खाविन्द हुआ और वह अपने खाविन्द को खिला रही थी। मैने सोचा कि उसका बच्चा होगा, वह नाराज हो गई। वहा पर यह रिवाज है। रिवाज को जबरदस्ती तोडने का काम ठीक नहीं है। उनके अन्दर रिफार्म करना चाहिए। हमारे यहा हिन्दुओं मे सती का रिवाज था, उसका रिफार्म किया गया, उसके बाद कानून बना।

श्री प्रेम मनोहर : त्यागी जी, पहले कानून बना, उसके बाद रिफार्म हुआ।

श्री महावीर त्यागी : कानून बनाने में जरा देर करनी चाहिए क्योंकि .

श्री प्रेम मनोहर : त्यागी जी, आप फरमा रहे हैं कि सौ में से तीन ऐसे होते होंगे जो एक से अधिक शादी करते होंगे। फिर क्या आपत्ति है जब आप स्वयं कर रहे है कि आज के नौजवान मुसलमान कोई एक से ज्यादा शादी नही करते ?

श्री महावीर त्यागी इसलिए मै कह रहा हूं कि यदि मुसलमानों में इस बात को फैलाया जाय तो वे कसरत राय से उसको सपोर्ट करेगे। उनका सपोर्ट ले लेना चाहिए पेश्तर इसके कि हम इसको पास कर दें। अगर हम बिना उनके सपोर्ट के पास कर दें तो गलतफहमिया लोग पैदा करना शुरू करेगे। तो झगडालू लोगों को दबाने का तरीका यह है कि उनकी कसरत राय को अपने साथ ले लेना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते है कि इस कानून के कारण हिन्दुस्तान के अन्दर विप्लव हो। मैं आपसे सहमत हू कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई कानून हिन्दुओं पर लागू हो और मुसलमानों पर लागू न हो यह सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, जो कानून बने वह सब पर लागू होना चाहिए। मै आपकी इस बात मे सहमत हूं, लेकिन अब सवाल यह है कि हमको एक राजनैतिक ढंग से चलना चाहिए। क्यों न ऐसा ढंग किया जाय जिसमे मुसलमानों को सन्तोष हो जाय और अगर 80 फीसदी मुसलमान कहते है कि यह रिफार्म अच्छी है, हम इसको मजूर करते है तो फिर उसके बाद कानून बना दो। थोड़ी देर रुके रहने मे कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अभी इस कानून को रोक दिया जाय और मुसलमानों के अन्दर प्रचार करके उनकी राय ली जाय और जब उनकी सामूहिक राय इसके पक्ष मे हो तब कानून बनाना ठीक होगा।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) Sir I will take only five minutes.

SOME HON. MEMBERS : No, you take 15 minutes.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Not necessary

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : It is necessary

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Sir, I oppose this Bill.

AN HON MEMBER : You must

SHRI BRAHMANANDA PANDA: My reasons are there.

SHRI MAHAVIR TYAGI: I hope you are not a Muslim.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I am an Indian That is the best: that is what is needed in India today.

SHRI MAHAVIR TYAGI: From your appearance it looks . . .

SHRI BRAHMANANDA PANDA: You call me anything so long as you do not deprive me of my Indian citizenship.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA): You proceed, Mr Panda.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Sir, I oppose the Bill because the thing that we are discussing is more a social question My friend, Mr. Yadav tried to make a mountain of a molehill but ultimately when he ended the molehill remained a molehill. There are certain questions, certain problems in life like love, marriage and it is better we did not interfere with them, with the type of legislation contemplated by my friend, Mr Sen Gupta. There is a saying in Orissa About marriage they say "*Jo Dilika laddoo khaya wo pastaya, jo nahin khaya wo bhi pastaya*" One who is married thinks it is *Dilli ka laddoo* and one who is not married also thinks it is *Dillika laddoo.*

Even in the Muslim community, any reformation that came, it came from within the community. We had our Dayananda Saraswati, we had our Raja Rammohan Roy—who abolished *Sati*—Iswar Chandra Vidyasagar—who advocated widow remarriage, we find a galaxy of such reformers It comes from the society itself and that is bound to come in the Muslim society also I ask one question: Can Mr. Tyagi or Mr Yadav tell me the percentage of the Muslims who have more than one wife?

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: I said let this Bill be circulated for the opinion of the Muslims

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I do not want this Bill to be circulated because I feel it is unnecessary We need not discuss it here So, if any reformation has to come it must come from within that society Any amount of legislation that you might make will not help and will not change it You know Sir, better than I do that every level in the society is conditioned by economics Supposing India comes to a certain standard of economic development, social behaviour is bound to change Now we have not much of differentiation between ladies and gents A lady has one vote and a gent has one vote Women are getting educated and so also our men So also, in the Muslim community which believes in its Personal Laws —where it is not allowed and where it is possible now—there will come a certain stage when they will also not like it. After all, you have to depend on social evolution for it Nawabs used to have harems, Maharajas used to have harems but now. in the modern society the personal family is the unit It is not a question of a joint family or anything like that So, when they think of building up a modern home, it is conditioned on our economics The husband works, the wife works, and the more the working members in the family, the more happily they live.

Mr Tyagi, years ago I met a tribal landlord who had a dozen wives. During an election campaign he met us, we were his guests I asked him why he married 12 women He said "I am sitting like a monarch All the twelve of them go into the field and work and I am enjoing the benefits" But I do not say that you should take it as an example.

SHRI MAHAVIR TYAGI: But then you got 13 votes from that family.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: We got the votes all right We would have got their votes anyway because the entire clan was for the Congress So, what I mean to say is .

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: After your joining the Congress?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Yes In spirit I am a Congressman and I understand Congressism better than you

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Very good

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Because I have no intellectual opportunism; anybody knowing me for the last five years in this House would have known that

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: For some time you were out of the Congress and have now again gone back to Congress. Perhaps it was for reasons of convenience.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : You are misinterpreting history. I was one of the founder members of that party in Orissa to stop the vagaries. Shri Biju Patnaik of whom you are a great admirer. I am a straight man and I go straight

Now, I do not want that legislation should be brought in for this or as my friend suggested it should be circulated among the Muslim families. I again repeat that a man taking a second wife after the death of his first wife is guilty because there is the question of sentiments. I suppose Mr. Tyagi and myself are in the same position; both of us remain without a woman. Now, you must have said certain sentimental things to your wife during the first honeymoon. Are you going to repeat those things a second time to another woman? No; you cannot. After all sentiments have to be respected. Any man living with one woman, if that woman dies, can never think of a second wife. Even in Muslim families, if you do not give it a religious colour, there are enlightened people who feel that this thing should go but it should not be given such a colour or such a twist that you bring this in the form of a legislation, you put something in it and say that it is binding on all. This is a social problem, a social question And sentiments will gradually grow against when we became more dynamic, when society becomes more modern when the economic standard of the country goes up. Ultimately it is a question of economics. Now in certain sections amongst the Hindus marrying the maternal uncle's daughter is a must. Why? That is because the property from this family should not go to a third family It should remain inside the same family That is the idea behind it. These are all feudal remnants and they are gradually passing out as many things have passed out. Many unnecessary customs we have done away with, many unnecessary traditions have gone. So gradually when society evolves, when people get more and more of education and other enlightening facilities, when they see light spreading everywhere they will also see the necessity for such a change. I have discussed this with many of my Muslim friends. I have Muslim friends from every section of the society, from the highest to the lowest and I have not come across anybody who says that marrying more than one wife is good. In society as it is constituted now, certainly we have to take certain things for granted for the time being until some sort of reformation comes about. And it will come about because when a society grows, when an individual gets more enlightenment when he becomes conscious of himself and the society and also the environments, naturally these things that are detrimental to his growth as an individual and as a family will certainly be given up. So there can be no question of any legislation now and I hope my friend will see the sense of it and withdraw his Bill. I will wait for that day when Muslim opinion and other opinion builds up for this. I have seen Hindu families also where a man who is married also keep a mistress. (*Interruptions*) Even after marriage I have known people who keep mistresses. Do you want to legalise that also? It is a question of human character and human character, as I said, is a very complicated thing. Our first ambition in India today should be to see that economically we develop more and more, we become more modern and we build up such a society where such anomalies will not be there, where such unwanted things will gradually disappear automatically Until then we must see that enlightened public opinion grows wherever such things are prevalent. Even in Hindu families suppose you do not get a son, even today the man marries a second wife You must have read Premchand's stories. It is not that Hindus are all good and the others are all bad We cannot generalise like that. Therefore, in my humble opinion we do not need any legislation now So, there is no question of circulating it. I would appeal to my friend that he should see that we do not disturb the society now and create troubles for ourselves By 'ourselves' I do not mean the Congress I mean the entire Indian society.

SHRI PREM MANOHAR: This is only a vote-catching device.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: We have been getting votes for the last twenty-five years and we will continue to be here. Do not worry about that . . .

SHRI PREM MANOHAR: Let the country go to hell and you continue there.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: The country is where it is. Either you go to hell or we go to hell. The rivers flow. The mountains are there. Nobody is going to hell with the country.

SHRI MAHAVIR TYAGI: I may inform you that they are counting on the female votes of Muslims.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: My hats off to them. Muslim women are well informed and they will definitely vote for us. They will never vote for Jan Sangh. I am so sure of that. So, in winding up I want this Bill to be withdrawn. I appeal to the good sense of my friend, Mr. D. L. Sen Gupta, to withdraw this Bill and see if he can help Muslim masses practically. If he feels that this anomaly should go, he should initiate this discussion amongst his Muslim friends and also among Hindu friends where they have taken more than one wife We should build up a modern society.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA. I am initiating that discussion just now with the Minister. The discussion is continuing. Let it continue even in the next session.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: It is not a question of discussion in the House. I want the discussion to go on in the wider world. When I say that, do not think that if a Hindu has got more than one wife it is good. It is bad. It must come in a different form, not in the form of legislation. This is all what I have to say.

श्री मान सिंह वर्मा : आप में हिम्मत नहीं है कि आप सच बात कह सकें। आप गलत बात कह कर वोट लेना चाहते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA): I think he will reply next time.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. Appropriation (No. 3) Bill, 1973

II. The Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Bill, 1973.

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 1973, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 17th August, 1973.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Bill, 1973, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16th August, 1973".

Sir, I beg to lay a copy of each of the Bills on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI YOGENDRA SHARMA): The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 20th August, 1973.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 20th August, 1973.

MGIPCBE—S7—7 RSS/ND/73—7-12-73—595